Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 300/2026, Rautara P.S. Case No.- 57/2026
Mahboob Alam @ Mahbur Alam @ Mahbul alam V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 300/2026
Rautara P.S. Case No.- 57/2026

1. महबूब आलम उर्फ महबुर आलम उर्फ महबुल आलम पिता अब्दुल जब्बार, उ0त0 30 वर्ष, निवासी सा0 ग्रामः– हथिया दियारा, थाना– रौतारा, जिला– कटिहार ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री .....सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री...ललन कुमार झा।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 08-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 07.03.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 16.03.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार झा द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक मनोज कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रौतारा थाना ने रौतारा थानाध्यक्ष को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 17:00 बजे सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती में थाना से प्रस्थान किया था। तभी गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी के ट्रैक्टर लेकर हथिया दियारा से गोविन्दपुर तरफ आ रहा है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु गोविन्दपुर स्थित धर्मकांटा के पास पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली के साथ आ रहा है, जिसे रोककर चला रहे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम महबूब आलम पिता अब्दुल जब्बार निवासी साकिन हथिया दियारा थाना रौतारा जिला कटिहार बताया। उस व्यक्ति से ट्रैक्टर का कागज मांग किये जाने पर उसने कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया तथा ट्रैक्टर नं0 बी0आर0 39जी0 0245 का ई0 चालान से जांच करने पर ईंजन नं0 431024/SZK27852 and chasis No WZTK 40622111419 का मिलान नहीं हो सका तथा मशीन में Data not found बता रहा था, जिससे स्पष्ट है कि ट्रैक्टर एवं ट्राली चोरी का है। उक्त ट्रैक्टर एवं ट्राली को थाना परिसर में विधिवत जब्तमीसूची बनाकर जब्त किया तथा जब्तीसूची का एक प्रति प्राप्त कराया। अभियुक्त महबूब आलम (ट्रैक्टर चालक) को अपराध का बोध कराते हुए विधिवत गिरफ्तार किया।
3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार झा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक को इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है, उसके द्वारा दिनांक 10.09.2017 को भारत ट्रैक्टर बनमनखी पूर्णियां से खरीद किया गया है, जिसका वह लम्बे

Web Copy of Civil Court Katihar

समय से उपयोग कर रहा है। पुलिस द्वारा भी उसे कई बार उक्त ट्रैक्टर के साथ देखा गया है, परन्तु ग्रामीण राजनीति के तहत उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक पर ट्रैक्टर चोरी करने का आरोप है, जिसके लिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक मनोज कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक के टंकित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध रौतारा थाना कांड संख्या– 57/26 दिनांक 06.03.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 4,11,12 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कंडिका 25, 26 से विदित है कि कांड में जब्त ट्रैक्टर रजि0 नं0 BR 39G 0245 , chasis No- WZTK 40622111419 के स्वामित्व के संबंध में जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इसका स्वामी मो0 बदरूद्दीन पिता मो0 रमजान अली है। कांड दैनिकी के कंडिका 29 में आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारत ट्रैक्टर्स बनमनखी पूर्णिया से ईंजन नं0 ईंजन नं0 431024/SZK27852 and chasis No WZTK 40622111419 को आवेदक महाबुर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार के द्वारा दिनांक 10.09.2017 को 6,50,000/– रूपये में खरीद किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा थाना रौतारा द्वारा जब्त ट्रैक्टर को चार लाख पचास हजार रूपये में खरीद किया गया है। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा कांड दैनिकी में उसके विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के कारावास की अवधि को देखते हुए जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक महबूब आलम उर्फ महबुर आलम उर्फ महबुल आलम के नियमित जमानत आवेदन दिनांक 16.03.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10000/–रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	08-04-2026
Date of Reserving order	08-04-2026
Date of uploading	08-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)

Web copy, Civil Court, Katihar